TO BE PUBLISHED IN PART-II SECTION 3(ii) OF THE GAZETTE OF INDIA

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF FINANCE
DEPARTMENT OF REVENUE
CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES

....

New Delhi, the 14th March, 2000

NOTIFICATION
(INCOME TAX)

S.O. In exercise of the powers conferred by the sub-clause (iv) of clause(23C) of section 10 of the Income-tax Act,1961(43 of 1961), the Central Government hereby notifies the "**Institute of Economic Journalism, New Delhi**" for the purpose of the said sub-clause for the assessment years **1997-98** to **1999-2000** subject to the following conditions, namely:-

(i) the assessee will apply its income, or accumulate for application, wholly and exclusively to the objects for which it is established;

(ii) the assessee will not invest or deposit its funds (other than voluntary contributions received and maintained in the form of jewellery, furniture etc.) for any period during the previous years relevant to the assessment years mentioned above other wise than in any one or more of the forms or modes specified in sub-section (5) of Section 11;

(iii) this notification will not apply in relation to any income being profits and gains of business, unless the business is incidental to the attainment of the objectives of the assessee and separate books of accounts are maintained in respect of such business.

(iv) The assessee will regularly file its return of income before the Income-tax authority in accordance with the provisions of the Income-tax Act, 1961.

(MONA M. VERMA)
UNDER SECRETARY TO THE GOVERNMENT OF INDIA

NOTIFICATION No. 11260 (F.NO. 197/ 106/ 99-ITA-I)

To

The Manager,
Government of India Press,
Ring Road, Mayapuri Industrial Area,
(Near Rajouri Garden), New Delhi.

भारत के राजपत्र के भाग ।। खंड 3 (ii) में प्रकाशनार्थ

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
राजस्व विभाग
केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड

नई दिल्ली, दिनांक 15 मार्च, 2000

अधिसूचना

(आयकर)

का०आ० आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 के खंड (23ग) के उपखंड (iv) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा "इंस्टीट्यूट आफ इकानामिक ग्रोथ(?) जर्नलिज्म, नई दिल्ली" को 1997-98 से 1999-2000 तक के कर-निर्धारण वर्षों के लिए निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहते हुए उक्त उपखंड के प्रयोजनार्थ अधिसूचित करती है, अर्थात्:-

(i) कर-निर्धारिती उसकी आय का इस्तेमाल अथवा उसकी आय का इस्तेमाल करने के लिए उसका संचयन पूर्णतया तथा अनन्यतया उन उद्देश्यों के लिए करेगा, जिनके लिए इसकी स्थापना की गई है;

(ii) कर-निर्धारिती ऊपर-उल्लिखित कर-निर्धारण वर्षों से संगत पूर्ववर्ती वर्षों की किसी भी अवधि के दौरान धारा 11 की उपधारा (5) में विनिर्दिष्ट किसी एक अथवा एक से अधिक ढंग अथवा तरीकों से भिन्न तरीकों से उसकी निधि (जेवर-जवाहरात फर्नीचर अथवा किसी अन्य वस्तु, के रूप में प्राप्त तथा अनुरक्षित में स्वैच्छिक अंशदान से भिन्न) का निवेश नहीं करेगा अथवा उसे जमा नहीं करवा सकेगा;

(iii) यह अधिसूचना किसी ऐसी आय के संबंध में लागू नहीं होगी, जो कि कारोबार से प्राप्त लाभ तथा अभिलाभ हो जब तक कि ऐसा कारोबार उक्त कर-निर्धारिती के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए प्रासंगिक नहीं हो तथा ऐसे कारोबार के संबंध में अलग से लेखा-पुस्तिकाएं नहीं रखी जाती हों ।

(iv) कर-निर्धारिती आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के अनुसार अपनी आय विवरणी नियमित रूप से आयकर प्राधिकारी के समक्ष फाइल करेगा;

मोना वर्मा

(मोना एम० वर्मा)
अवर सचिव, भारत सरकार

अधिसूचना सं० 11260 (फा०सं० 197/106/99-आयकर नि०-1)

सेवा में,

प्रबंधक, भारत सरकार प्रेस,
रिंग रोड, मायापुरी औद्योगिक क्षेत्र,
(राजौरी गार्डन के समीप), नई दिल्ली ।